घर-घर
औषधि योजना

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः–एफ 15 ( ) 2020–21/गोप्र/प्रमुवस/127/c दिनांक 17.01.2022

कार्यालय आदेश

प्रत्येक राज सेवक को सेवा नियमों में विहित स्थाईकरण के प्रावधान के अनुसार परिवीक्षा काल पूर्ण किए जाने पर उसके स्थाईकरण (Confirmation) के आदेश प्रसारित किए जाने होते हैं। प्रायः देखने में आया है कि विभाग में कार्यरत लोक सेवकों की परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के पश्चात उनके स्थायीकरण (Confirmation) आदेश जारी नहीं होने की स्थिति में सेवानिवृति उपरान्त ऐसे लोक सेवकों की पेंशन स्वीकृति की प्रक्रिया में पेंशन विभाग द्वारा आक्षेप अधिरोपित किए जा रहे हैं।

उक्त के क्रम में कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र क्रमांक 1 (35) कार्मिक/क–2/74 पार्ट दिनांक 16.8.2010 द्वारा किसी भी राजसेवक को सेवानियमों में विहित स्थाईकरण के प्रावधान के अनुसार परिवीक्षा काल पूर्ण किए जाने पर उनके स्थाईकरण (Confirmation) के आदेश प्रसारित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। यदि किसी कारण से परिवीक्षा काल बढाया जाता है तो पर्याप्त कारण वर्णित करते हुए परिवीक्षा अभिवृद्धि के आदेश भी प्रसारित किए जावें।

अतः समस्त नियुक्तिकर्त्ता अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपके अधीन कार्यरत लोक सेवकों के परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के पश्चात यदि अभी तक स्थाईकरण आदेश जारी नहीं किए गए है तो संबंधित लोक सेवक के सेवाभिलेख से पुष्टि कर तत्काल प्रभाव से स्थाईकरण आदेश जारी कर, इसका इन्द्राज उनकी सेवापुस्तिका में कर प्रति संबंधित लोक सेवक को उपलब्ध करावें। कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवें।

(डा.डी.एन.पाण्डेय)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख)
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः–एफ 15 ( ) 2020–21/गोप्र/प्रमुवस/128-238/c दिनांक 17.01.2022

1. प्रतिलिपि समस्त वनाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. प्रभारी कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभाग की बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
3. रक्षी पत्रावली।

(जे.एस.दहिया)
उप वन संरक्षक (प्रस्था.अरा
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक
राज.जयपुर